छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 314 प्रकरण क्रमांक **M-COM-2021-01573**

आवेदक : छ.ग. रेरा विरूद्ध ''ए.के.एस. स्मार्ट सिटी'', प्रमोटर–ए.के.एस. इन्फ्राटेक, पता– 525 एवं 526, पंचम तल, रवि भवन, जयस्तंभ चौक, जिला–रायपुर (छ.ग) प्रोजेक्ट–''ए.के.एस. स्मार्ट सिटी'' ग्राम–पाहंदा, तह.–पाटन, जिला–दुर्ग

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
01/04/2024	– प्रकरण प्रस्तुत । – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट 'ए.के.एस. स्मार्ट सिटी'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA070718000489** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–17 / रेरा / 2018 / 562, दिनाँक 28.09.2018 एवं क्रमांक–22 / रेरा / 2018 / 676, दिनाँक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे। जो प्राधिकरण की वेबससाईट पर सहज उपलब्ध हैं। प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों व निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से दिनाँक 06.05.2022 को प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्राप्त किया गया है तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र को प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट से संबंधित त्रैमासिक अद्यतन जून, 2022 तक पूर्ण किया गया है। अनावेदक द्वारा अधिनियम की धारा–4(2)(l)(D) के अंतर्गत रूपये 4,000 / – का भुगतान चालान के माध्यम से शासकीय मद में जमा कर दिया गया है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 314 प्रकरण क्रमांक **M-COM-2021-01573**

आवेदक : छ.ग. रेरा विरूद्ध ''ए.के.एस. स्मार्ट सिटी'', प्रमोटर–ए.के.एस. इन्फ्राटेक, पता–
525 एवं 526, पंचम तल, रवि भवन, जयस्तंभ चौक, जिला–रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट–''ए.के.एस. स्मार्ट सिटी'' ग्राम–पाहंदा, तह.–पाटन, जिला–दुर्ग

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	